[अजय रस्तोगी और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992-ss.11 सी (3), 15 ए (ए), 15 जे-प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) द्वारा बरकरार रखे गए न्यायनिर्णायक अधिकारी (एओ) द्वारा लगाया गया एक करोड़ रुपये का जुर्माना-का औचित्य-आयोजितःअपीलकर्ताओं ने पहली बार अगस्त, 2001 में समन का उल्लंघन किया था और जून, 2002 में-इसके बाद, एस. ई. बी. आई. ने कई समन जारी किए, जिसमें अपीलकर्ताओं को उपस्थित होने और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और आवश्यकतानुसार जानकारी प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया-लेकिन, अपीलकर्ता जांच के दौरान आई. डी. 3 की अवधि के दौरान जारी किए गए किसी भी समन का जवाब देने में विफल रहे-इसके बाद, एस. ई. बी. आई. ने आई. डी. 1 में अपीलकर्ता के संबंध में आई. डी. 2 पर नए समन जारी किए। 2009 का 1742 और C.A.No में अपीलार्थी के संबंध में 09.04.2003 पर। अपीलार्थियों को जाँच में सहयोग करने के लिए 2009 का 5833-इसके बाद, ए. ओ. ने क्रमशः 28.11.2003 और 31.12.2003 पर अपीलार्थियों पर जुर्माना लगाने का अपना आदेश पारित किया-उपरोक्त नए समन का पालन न करना अपीलार्थियों द्वारा किया गया एक नया अपराध था-इस प्रकार, एस. के संशोधित प्रावधान।15 ए (ए) जैसा कि संशोधित डब्ल्यू. ई. एफ. 29.10.2002 उपरोक्त संशोधन के बाद जारी किए गए समन के संबंध में अपीलकर्ताओं पर जुर्माना लगाते समय लागू होगा-साथ ही, क्योंकि दोनों अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए गैर-अनुपालन की चूक की अवधि प्रत्येक मामले में समन जारी करने की तारीख से 100 दिनों की अवधि से अधिक थी, ए. ओ. ने उचित रूप से एस.15 ए (ए), विशेष रूप से प्रावधान के अंतर्गत लगाए जा सकने वाले जुर्माने की अधिकतम सीमा के संबंध में, यानी ए. ओ. द्वारा लगाए गए एक करोड़ रुपये का जुर्माना और एस. ए. टी. द्वारा बरकरार रखा गया जुर्माना-इसके अलावा, एस. ई. बी. आई. द्वारा की गई जांच, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि अपीलकर्ता और अन्य संस्थाएं वर्ष 2000 और 2001 में प्रतिभूति बाजार में धांधली करने में 'के. पी.' और उनकी कंपनियों को

सहायता और बढ़ावा देने में शामिल थीं, को अपीलकर्ताओं द्वारा किसी भी समय चुनौती नहीं दी गई थी-इस प्रकार, प्रासंगिक ए.

/

/

/

/

/

/

242

243

डी. के. जी. बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड v.न्यायनिर्णयन और पूछताछ अधिकारी, S.E.B.I।

एस. ई. बी. आई. के आदेश ने अंतिमता प्राप्त कर ली थी-अपीलार्थियों और अन्य संस्थाओं द्वारा किए गए अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, और उसे बाधित करने के प्रयास में जांच के दौरान अपीलार्थियों के असहयोगी रवैये को ध्यान में रखते हुए, यू/एस. द्वारा लगाए गए दंड की मात्रा।15 ए (ए) न्यायसंगत है और एस में सूचीबद्ध कारकों पर प्रभावी विचार के साथ है। 15 जे.

/

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992-एस.15 जे-आयोजितःवर्तमान मामले के संदर्भ में स्पष्टीकरण को नंगे पढ़ने से न्यायनिर्णायक अधिकारी के पक्ष में यह धारणा बनती है कि उसने धाराओं में उल्लिखित कारकों पर उचित विचार करने के बाद अपीलार्थियों के खिलाफ दिनांकित 28.11.2003 और 31.12.2003 के आदेश पारित किए।15 जे.

/

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 -s.11C (3)-"किसी भी तरह से प्रतिभूति बाजार से जुड़े व्यक्ति"-आयोजितःएस का एक नंगे पठन।11 सी (3) यह स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति के मामलों की जांच करने के लिए एस. ई. बी. आई. द्वारा नियुक्त एक जांच प्राधिकरण "किसी भी तरह से प्रतिभूति बाजार से जुड़े ऐसे व्यक्ति से ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने, या ऐसी पुस्तकों, या रजिस्टरों, या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने, या उसके या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के सामने रिकॉर्ड करने की आवश्यकता हो सकती है, जो वह आवश्यक समझे, यदि ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना या ऐसी पुस्तकों, या रजिस्टरों, या अन्य

दस्तावेजों, या रिकॉर्ड का उत्पादन उसकी जांच के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक या आवश्यक है"- वर्तमान मामले अंतर्गत , अपीलकर्ता प्रतिभूति बाजार अंतर्गत हेरफेर करने अंतर्गत 'के. पी.' और उसकी कंपनियों को सहायता करने और उकसाने अंतर्गत कथित संलिप्तता के लिए एस. ई. बी. आई. द्वारा जांच के दायरे अंतर्गत थे-इसलिए, अपीलकर्ता स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से ऐसा करेंगे।11 सी (3)-ऐसे व्यक्तियों को अपने समक्ष उपस्थित होने और जानकारी प्रस्तुत करने या दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश देने का जांच प्राधिकरण का अधिकार जो जांच के लिए आवश्यक है, एस में प्रदान किया गया है।11 सी (3)।

/

/

/

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992-ss.19, 15 ए (ए), 11 सी (3)-आयोजितःएस. 19 में प्रावधान है कि एस. ई. बी. आई. किसी भी सदस्य, एस. ई. बी. आई. के अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी ऐसी शक्तियों और कार्यों को सौंप सकता है (धारा 29 के अंतर्गत शक्तियों को छोड़कर) जो वह आवश्यक समझे-इस प्रकार, जब अपीलार्थी एस. ई. बी. आई. के अंतर्गत जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहे।11 सी (3) और आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहा, जांच प्राधिकरण,

/

/

244 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 19 एस. सी. आर.

/

एस. ई. बी. आई. का प्रत्यायोजित प्राधिकरण होने के नाते, एस. में दिए गए जुर्माने को लगाने का अधिकार था।15 ए (ए)।

आयकर आयुक्त, अहमदाबाद बनाम सोने का सिक्का

हेल्थ फूड प्राइवेट लिमिटेड (2008) 9 एस. सी. सी. 622:[2008] 12

एस**.** सी**.** आर**. 17 9,** सी**.** जे**.** पॉल और ओ**.** आर**.** एस**.** बनामजिला कलेक्टर और अन्य।

(2009) 14 एससीसी **564:[2009] 12** एससीआर **233,** रितेश

/

अग्रवाल और ओआरएस बनामप्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

भारत और ओआरएस। (2008) 8 एससीसी 205:[2008] 8 एससीआर 553;

आयकर आयुक्त, लखनऊ बनाम मेसर्स ओंकार

सरन एंड सन (1992) 2 एससीसी 514:[1992] 2 एस. सी. आर. 514;

श्री संदीप कुमार गुप्ता बनाम। **SEBI (2013** की अपील संख्या **102);** आइरिस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनामएस**.** ई**.** बी**.** आई**. (**अपील

/

2006 का सं**. 2)-**लागू नहीं किया गया।

निर्णायक अधिकारी**,** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम भावेश पाबरी **(2019) 5** एस**.** सी**.** सी**. 90:[2019] 18** एससीआर **898,** एमबीएल और कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(2022)** एससीसी ऑनलाइन एससी

/

754 – पर भरोसा किया।

रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनामभारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(**अपील सं**. 106/2013);** पद्मिनी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनामएस**.** ई**.** बी**.** आई**. (**अपील सं**. 2004** का **36);** विवेक नागपाल बनाम **SEBI (**अपील सं। **2004** का **37);** मुकेश मल्होत्रा बनाम सेबी **(**अपील सं। **101/2004);** एडवांस होवरक्राफ्ट्स एंड कम्पोजिट्स इंडिया लिमिटेड**,** दिल्ली बनाम। न्यायनिर्णायक और पूछताछ अधिकारी**,** एस**.** ई**.** बी**.** आई**. (**अपील सं**. 61/05);** स्पेक्ट्रम।कॉम प्राइवेट लिमिटेड बनाम

/

SEBI (2006 की अपील संख्या 119); और राशि चक्र।कॉम

/

सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बनामन्यायनिर्णयन और पूछताछ

अधिकारी, एस. ई. बी. आई. (2006 की अपील सं. 105)-निर्दिष्ट।संदर्भित निर्णय

(2008) 12 एस**.** सी**.** आर**. 17**

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा **35**

/

(2009) 12 एससीआर **233**

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा **35**

(2008) 8 एससीआर **553**

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा **35**

(1992) 2 एससीआर **514**

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा **35**

(2019) 18 एससीआर **898**

पर विश्वास किया

पैरा **43** ए

/

245

डी. के. जी. बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड v.न्यायनिर्णयन और पूछताछ अधिकारी, S.E.B.I।

(सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2009 की सिविल अपील सं. 1742)

2006 की अपील संख्या 106 में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई के दिनांकित 07.01.2009 के निर्णय और आदेशों से

सह

/

2009 की सिविल अपील सं. 5833।

अंभोज कुमार सिन्हा, सुश्री दीक्षा मिश्रा, अभय के. दास, सुश्री दीक्षा मिश्रा, देबमाल्या सी. बनर्जी, रोहन शर्मा, कार्तिक भटनागर, निकोलस चौधरी, अनमोल, श्रीश चड्ढा, अतुल सिन्हा, मेसर्स करंजावाला एंड कंपनी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

चंदर उदय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, अखिल अब्राहम रॉय, विजय वल्सन, मेसर्स के. जे. जॉन एंड कंपनी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

नागरत्ना, जे.

1. ये दीवानी अपीलें प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई (संक्षेप में, "एस. ए. टी".) द्वारा पारित सामान्य आक्षेपित आदेश दिनांक 07.01.2009 से उत्पन्न होती हैं।

2. चूंकि उपरोक्त दोनों सिविल अपीलों में विधि और मुद्दों के प्रश्न समान हैं, और मामले केवल अपने-अपने तथ्यों और घटनाओं में अलग हैं, इसलिए इन अपीलों का निपटारा इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

/

3. 2009 की सिविल अपील संख्या 1742 में अपीलार्थी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 15.04.1997 पर निगमित किया गया था।2009 की सिविल अपील संख्या 5833 में अपीलार्थी को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 02.06.1997 पर शामिल किया गया था।

/

4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संक्षेप में 'एस. ई. बी. आई.') द्वारा मेसर्स शोंख टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल लिमिटेड (सुविधा के लिए 'एस. टी. आई. एल.') के शेयरों की खरीद और बिक्री और शेयरों की कीमतों में हेरफेर के मामले में एक जांच की गई थी, एक ऐसी कंपनी जिसमें दोनों अपीलकर्ताओं के पास पहले शेयर थे।एस. टी. आई. एल. के शेयरों में असामान्य मूल्य उतार-चढ़ाव को देखते हुए, एस. ई. बी. आई. ने एस. ई. बी. आई. (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, 1995 (इसके बाद) के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनियों के शेयरों में खरीद, बिक्री और लेनदेन की जांच की।

/

/

'विनियम' के रूप में संदर्भित)।जांच से पता चला कि एक सूचीबद्ध कंपनी मेसर्स श्रीजी यातायत इंडिया लिमिटेड (संक्षेप में, 'एस. वाई. आई. एल.') ने एस. टी. आई. एल. के पूरे उपक्रम का अधिग्रहण किया था और बदले में एस. वाई. आई. एल. ने एस. टी. आई. एल. के शेयरधारकों

को अपने शेयर आवंटित किए थे। 2009 की सिविल अपील संख्या 1742 में अपीलार्थी को एस. वाई. आई. एल. के 10,00,000 शेयर आवंटित किए गए थे, जबकि 2009 की सिविल अपील संख्या 5833 में अपीलार्थी को 1,43,000 शेयर आवंटित किए गए थे।एस. टी. आई. एल. की व्यावसायिक गतिविधियों को संभालने के बाद एस. वाई. आई. एल. ने अपना नाम बदलकर एस. टी. आई. एल. कर लिया।

/

5. जांच से आगे पता चला कि अपीलकर्ताओं ने एस. टी. आई. एल. के शेयरों को साई मंगल इन्वेस्ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड (संक्षेप में, 'एस. एम. आई. पी. एल.') के नाम और शैली के अंतर्गत एक कंपनी को हस्तांतरित किया था।इसी तरह, क्लासिक क्रेडिट लिमिटेड, गोल्डफिश कंप्यूटर लिमिटेड और ल्यूमिनेंट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाओं को भी विभिन्न संस्थाओं से एसटीआईएल के शेयर प्राप्त हुए थे जिन्हें एसवाईआईएल द्वारा शेयर आवंटित किए गए थे। एस. एम. आई. पी. एल. और ऊपर उल्लिखित अन्य संस्थाओं को केतन पारेख नाम के एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया गया था, जिन्होंने वर्ष 2000 और 2001 में प्रतिभूति बाजार में धांधली की थी।

/

/

6. एस. ई. बी. आई. द्वारा पारित एक आदेश द्वारा केतन पारेख और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों को चौदह साल की अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या सौदा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।उस आदेश को एस. ए. टी. द्वारा 14.07.2006 पर बरकरार रखा गया था और इस न्यायालय के समक्ष दायर अपील को भी खारिज कर दिया गया था।

/

7. उपरोक्त जांच को ध्यान में रखते हुए, एस. ई. बी. आई. ने अपीलकर्ताओं सहित कई संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही शुरू की।आई. डी. 1 दिनांकित एक अलग आदेश द्वारा, एस. ई. बी. आई. ने पाया कि अक्टूबर, 2000 और अप्रैल, 2001 के बीच की अवधि के दौरान केतन पारेख से जुड़ी संस्थाओं को एस. टी. आई. एल. के बड़ी मात्रा में शेयर उपलब्ध कराए गए थे और इससे उन्हें प्रतिभूति बाजार में उक्त शेयर में कृत्रिम मात्रा बनाने में मदद मिली।एस. ई. बी. आई. ने यह भी पाया कि केतन पारेख से जुड़ी संस्थाओं ने उक्त शेयरों में एक कृत्रिम बाजार बनाने के उद्देश्य से प्रतिभूति बाजार में एस. टी. आई. एल. के बड़ी संख्या में शेयरों को समकालिक तरीके से बेचा था।एस. ई. बी. आई. इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अपीलकर्ताओं और अन्य संस्थाओं ने केतन पारेख और उनकी कंपनियों को प्रतिभूति बाजार में हेरफेर करने में मदद की थी और इस तरह विनियमों के विनियम 4 का उल्लंघन किया था।एस. ई. बी. आई. ने उन्हें पाँच साल की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार तक पहुँचने से रोक दिया और उन्हें उसी

अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या सौदा करने से भी रोक दिया।SEBI ने पाया कि A से शुरू होने वाली अनधिकृत गतिविधियों की एक श्रृंखला

/

/

/

247

डी. के. जी. बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड v.न्यायनिर्णयन और पूछताछ अधिकारी, S.E.B.I। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

हस्तांतरण के एक जाल के माध्यम से केतन पारेख संस्थाओं सहित विभिन्न लोगों को एस. टी. आई. एल. के शेयरों के आवंटन ने अनुचित लाभ अर्जित करने की दृष्टि से प्रतिभूति बाजार की अखंडता को लगभग नष्ट कर दिया।

रीःसिविल अपील सं**. 1742/2009**

8. प्रतिवादी-एस. ई. बी. आई. द्वारा दिनांकित एक पत्र जारी किया गया था जिसमें इस अपीलार्थी (डी. के. जी. बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड) को एस. ई. बी. आई. को कुछ विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसका विवरण नीचे दिया गया हैः

/

“अनुलिपि

क) 1998 से आपकी कंपनी के निदेशकों और शेयरधारकों के नाम।

/

ख) क्या आप शोंख टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों के मूल आवंटनकर्ता थे। यदि हां, तो कृपया इस संबंध में पूरा विवरण दें, जैसे कि आवंटित शेयरों का नाम और प्रतिशत आदि।

/

ग) शोंख टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों की संख्या और प्रतिशत। श्रीजी यातायत इंडिया लिमिटेड के शेयरों के आवंटन से पहले ऐसे शेयरों के अधिग्रहण के तरीके, मूल्य और तारीखों के साथ आपके द्वारा आयोजित। जुलाई, 2000 में।

घ) क्या आपके द्वारा अधिमानी आवंटन के आधार पर श्रीजी यातायत इंडिया लिमिटेड के अधिग्रहण किए गए शेयर किसी और के लिए लाभकारी रूप से रखे गए थे।यदि हां, तो संबंधित व्यक्ति का विवरण दें।

/

ङ) क्या शोंख टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर आपके अपने कोष से खरीदे गए थे या किसी से ऋण/आईसीडी प्राप्त करने के बाद।यदि हां, तो संबंधित व्यक्ति, उधार ली गई राशि, भुगतान किए गए ब्याज, पुनर्भुगतान के नियम और शर्तों का विवरण दें।

/

च) चाहे आप अभी भी शोंख टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल लिमिटेड के हिस्सेदार हैं या उनका निपटान कर दिया गया है।यदि शेयर गिरवी, बिक्री, उपहार, विनिमय आदि के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं, तो कृपया उनका विवरण दें।इन विवरणों में उधार ली गई राशि/प्राप्त राशि, चेक संख्या/मसौदा संख्या, गिरवी रखने वाले/खरीदार/खरीदार का नाम आदि शामिल होना चाहिए।

/

/

छ) कंपनी/उसकी सहायक कंपनियों/निदेशकों द्वारा शोंख टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयरों की कोई अन्य खरीद/अधिग्रहण।यदि हां, तो भुगतान किए गए विचार, लेन-देन की तारीख, चेक संख्या/मसौदा संख्या, अधिग्रहण के तरीके आदि के विवरण के साथ अर्जित शोंख टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयरों का विवरण दें। "

/

9. एस. ई. बी. आई. ने 27.08.2001 पर समन जारी किया जिसमें इस अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित विस्तृत जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता थीः“अनुलिपि

(i) मेसर्स डी. के. जी. बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों द्वारा आयोजित अन्य कंपनियों के निदेशकों की सूची।

/

((ii) 31 मार्च, 2000 तक मेसर्स श्रीजी यातायत लिमिटेड के शेयरों में हिस्सेदारी का विवरण।

(iii) मेसर्स शोंख टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों के अधिग्रहण का विवरण।विवरण में शामिल होगा।

/

- अधिग्रहण की तिथि।
- अधिग्रहण की मात्रा और दर।
- उस व्यापारिक सदस्य का नाम और पता जिसके माध्यम से अधिग्रहण किया गया था।

/

- यदि अधिग्रहण को बाजार से बाहर कर दिया गया था, तो हस्तांतरणकर्ताओं का नाम और पता।

(iv) मेसर्स शोंख टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयरों के अधिग्रहण का विवरण। विवरण में शामिल होगा।• अधिग्रहण की तिथि।

/

- अधिग्रहण की मात्रा और दर।
- उस व्यापारिक सदस्य का नाम और पता जिसके माध्यम से अधिग्रहण किया गया था।

/

- यदि अधिग्रहण को बाजार से बाहर कर दिया गया था, तो हस्तांतरणकर्ताओं का नाम और पता।

(v) 1 अगस्त, 2000 से 30 जून, 2001 की अवधि के दौरान मेसर्स शोंख टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयरों में व्यापार का विवरण।विवरण शामिल होंगे।

/

249

डी. के. जी. बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड बनामन्यायनिर्णयन और पूछताछ अधिकारी, S.E.B.I। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

/

ए। लेन-देन की तारीख।

बी। उस व्यापारिक सदस्य का नाम और पता जिसके माध्यम से अधिग्रहण किया जाता है।

ग. बाजार से बाहर लेनदेन के मामले में, कृपया काउंटर पक्ष का नाम और पता प्रदान करें।

/

घ. लेन-देन की मात्रा, दर और मूल्य।

(vi) प्रत्ययी क्षमता में दिए गए या इकाई के साथ गिरवी रखे गए शेयरों का विवरण।विवरण में निम्नलिखित शामिल होंगेः

• उस पक्ष का नाम और पता जिसे न्यासी क्षमता पर शेयर दिए जाते हैं या जिसके साथ शेयर गिरवी रखे जाते हैं।

/

• न्यासी क्षमता में दिए गए या गिरवी रखे गए शेयरों की मात्रा। "

हालाँकि, इस अपीलार्थी के अनुसार यह कभी प्राप्त नहीं हुआ था

/

इसके द्वारा।

10. 2009 के सिविल अपील सं. 1742 में अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच आदान-प्रदान किए गए संचार निम्नलिखित हैं।इस अपीलार्थी को कई समन भी जारी किए गए थे, जिनका विवरण इस प्रकार हैः

/

(i) "अपीलार्थी ने दिनांकित 06.09.2001 पत्र के माध्यम से तारीख 02.07.2001 के पत्र में अनुरोध के अनुसार विस्तृत जानकारी प्रदान की।(ii) SEBI द्वारा अपीलार्थी को समन की एक प्रति के साथ 10.06.2002 दिनांकित एक और पत्र जारी किया गया था, जिसमें अपीलार्थी को फिर से 19.06.2002 द्वारा कुछ जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

/

(iii) 18.06.2002 पर SEBI द्वारा समन जारी किया गया था जिसमें अपीलार्थी को SEBI के कार्यालय, दिल्ली में 21.06.2002 पर उल्लिखित विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

/

((iv) जाँच अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को 19.06.2002 दिनांकित एक अन्य समन जारी किया गया था जिसके द्वारा अपीलार्थी को SEBI के मुंबई कार्यालय में 19.06.2002 पर उक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

(v) एस. ई. बी. आई. के एक अन्य जांच अधिकारी ने दिनांक 04.03.2003 पर समन जारी किया जिसमें अपीलार्थी के व्यक्तिगत अनुरोध की आवश्यकता होती है।

/

250

/

[2022] 19 एस सी आर।

SEBI के कार्यालय, नई दिल्ली में 20.03.2003 पर उपस्थिति।इसमें कहा गया था कि अपीलार्थी की ओर से पेश होने वाले व्यक्ति को जाँच से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए।अपीलार्थी को दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था।

(vi) अपीलार्थी ने उपरोक्त समन के जवाब में 20.03.2003 दिनांकित पत्र के माध्यम से उपस्थिति को स्थगित करने के लिए कहा क्योंकि संबंधित निदेशक, श्री नवनीत कुमार स्टेशन से बाहर थे और केवल 30.03.2003 तक ही लौटेंगे, जिसके बाद वह उपस्थित होने के लिए उपलब्ध होंगे।

/

(vii) जांच अधिकारी ने अपीलार्थी को 24.03.2003 पर एक और समन जारी किया जिसमें SEBI के कार्यालय, मुंबई में 01.04.2003 पर उपस्थिति की आवश्यकता थी।

/

(viii) इसके बाद 01.04.2003 पर एक और समन जारी किया गया जिसमें 08.04.2003 पर अपीलार्थी की उपस्थिति की आवश्यकता थी।यह उल्लेख किया गया था कि उपस्थिति की चूक में, SEBI अपीलार्थी के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही शुरू करेगा, जिसके अंतर्गत अपीलार्थी पर प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसके दौरान ऐसी विफलता होती है या जारी रहती है या एक करोड़ रुपये, जो भी कम हो। "

/

तत्पश्चात, इस अपीलार्थी को प्रतिवादी द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (संक्षेप में, '1992 अधिनियम') की धारा 15 ए (ए) के अंतर्गत इस अपीलार्थी द्वारा किए गए कथित उल्लंघन की जांच करने और निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी द्वारा अपने दिनांकित 'आईडी1' के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी को न्यायनिर्णायक अधिकारी (संक्षेप में, 'एओ') के रूप में नियुक्त किया गया था। इस अपीलार्थी से कारण बताने के लिए कहा गया था कि 1995 के नियमों के नियम 4 के संदर्भ में उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए और 1992 के अधिनियम की धारा 15 ए (ए) के अंतर्गत जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।

/

/

/

11. प्रत्यर्थी द्वारा 28.11.2003 दिनांकित एक एकतरफा आदेश पारित किया गया था जिसके तहत इस अपीलार्थी को 27.08.2001,10.06.2002,18.06.2002 और 01.04.2003 दिनांकित SEBI के समन की आवश्यकताओं का पालन नहीं करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया था।नतीजतन, एओ ने 1992 के अधिनियम ए की धारा 15 ए (ए) के अंतर्गत इस अपीलार्थी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

/

251

डी. के. जी. बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड बनामन्यायनिर्णयन और पूछताछ अधिकारी, S.E.B.I। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

इस आधार पर कि इसने व्यापक लोक हित में शुरू की गई पथराव जांच की विलंबकारी रणनीति अपनाई थी, जिसमें निवारक दंड की मांग की गई थी।

12. इस अपीलार्थी ने देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन के साथ एओ के उपरोक्त आदेश के खिलाफ एस. ए. टी. के समक्ष 06.11.2004 पर 2006 की अपील संख्या 106 को प्राथमिकता दी।एस. ए. टी. ने 01.09.2006 पर देरी को माफ करने के आवेदन के साथ-साथ इस आधार पर की गई अपील को खारिज कर दिया कि अपील में समय की मनाही थी और देरी के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

/

13. एस. ए. टी. द्वारा अपील की इस अस्वीकृति के अनुसरण में, इस अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष 2006 की सिविल अपील संख्या 4975 को प्राथमिकता दी, जिसके तहत इस न्यायालय ने दिनांकित एक आदेश के माध्यम से यह निर्देश दिया कि एस. ए. टी. के समक्ष अपील दायर करने में देरी को माफ कर दिया जाता है, बशर्ते कि अपीलार्थी एस. ए. टी. को उक्त आदेश की एक प्रति की आपूर्ति की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर एस. ई. बी. आई. को लागत के रूप में रु. रुपये की लागत जमा करने पर, एस. ए. टी. ने 2006 की अपील संख्या 106 की सुनवाई की और आक्षेपित आदेश के माध्यम से एस. ई. बी. आई.-प्रतिवादी के दिनांकित आदेश को बरकरार रखा और अपील को खारिज कर दिया।

/

/

14. आई. डी. 1 पर, प्रतिवादी ने इस अपीलार्थी (आर. सी. गुप्ता एंड कंपनी) से मांगी गई जानकारी का विवरण देते हुए पहला समन जारी किया। प्राइवेट लिमिटेड)।अपीलार्थी ने 29.07.2001 पर आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की।

/

15. एक अन्य समन प्रत्यर्थी द्वारा 10.06.2002 और फिर 18.06.2002 पर जारी किया गया था, जिसमें इस अपीलार्थी को आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्रदान करने का निर्देश दिया गया था जो 21.06.2002 द्वारा समन के साथ संलग्न किए गए थे।माँगी गई कुछ जानकारी दिनांकित 26.07.2001 समन में मांगी गई जानकारी के समान थी।हालाँकि, अतिरिक्त जानकारी भी मांगी गई थी लेकिन यह अपीलार्थी उपरोक्त किसी भी समन का जवाब देने में विफल रहा।

/

16. SEBI ने 09.04.2003 पर एक और समन जारी करने का फैसला किया, जिससे अपीलार्थी को नीचे उल्लिखित निर्देशों का पालन करने और 12.04.2003 पर उपस्थित होने का एक और अवसर मिला, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि जिस व्यक्ति को इसकी ओर से उपस्थित होना था, वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जांच के संबंध में सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके।अपीलार्थी से मांगी गई जानकारी और दस्तावेज एस. ई. बी. आई. द्वारा जाँच के संचालन के लिए महत्वपूर्ण थे। उपरोक्त के माध्यम से बार-बार जारी किए गए निर्देशों के बावजूद

/

/

समन, यह अपीलार्थी जवाब देने में विफल रहा।इस अपीलार्थी से मांगी गई जानकारी इस प्रकार थीः

" अनुलिपि

1. 31 मार्च, 2000 तक मेसर्स श्रीजी यातायत लिमिटेड के शेयरों में हिस्सेदारी का विवरण।

/

2. मेसर्स शोंख टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों के अधिग्रहण का विवरण।विवरण में निम्नलिखित शामिल होंगेः

• अधिग्रहण की तिथि।

• अधिग्रहण की मात्रा और दर।

/

• उस व्यापारिक सदस्य का नाम और पता जिसके माध्यम से अधिग्रहण किया गया था।

• यदि अधिग्रहण को बाजार से बाहर कर दिया गया था, तो हस्तांतरणकर्ताओं का नाम और पता।

3. मेसर्स शोंख टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयरों के अधिग्रहण का विवरण।विवरण में निम्नलिखित शामिल होंगेः• अधिग्रहण की तिथि।

/

• अधिग्रहण की मात्रा और दर।

• उस व्यापारिक सदस्य का नाम और पता जिसके माध्यम से अधिग्रहण किया गया था।

/

• यदि अधिग्रहण को बाजार से बाहर कर दिया गया था, तो हस्तांतरणकर्ताओं का नाम और पता।

4. 1 अगस्त, 2000 से 30 जून, 2001 की अवधि के दौरान मेसर्स शोंख टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयरों में व्यापार का विवरण।विवरण में निम्नलिखित शामिल होंगेः• लेन-देन की तारीख।

/

• उस व्यापारिक सदस्य का नाम और पता जिसके माध्यम से लेन-देन किया जाता है।

/

• बाजार से बाहर लेनदेन के मामले में, कृपया प्रतिपक्ष का नाम और पता प्रदान करें।

• लेन-देन की मात्रा, दर और मूल्य। "

17. उपरोक्त समन का पालन करने में इस अपीलार्थी की विफलता के कारण, एस. ई. बी. आई. ने इस ए. के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही शुरू की।

/

डी. के. जी. बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड v.न्यायनिर्णयन और पूछताछ अधिकारी, S.E.B.I। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

अपीलार्थी।न्यायनिर्णायक अधिकारी (ए. ओ.) ने दिनांक 15.09.2003 पर एक कारण बताएँ नोटिस जारी किया जिसमें इस अपीलार्थी को सूचित किया गया कि वह 1992 के अधिनियम की धारा 15 ए (ए) के अंतर्गत जुर्माना लगाने के लिए उत्तरदायी हो गया है। कारण दिखाएँ नोटिस में समन के माध्यम से पहले मांगी गई कुछ जानकारी का भी उल्लेख किया गया था, और इस अपीलार्थी ने अपना जवाब दिनांक 18.12.2003 दाखिल किया जिसमें अपीलार्थी ने कारण दिखाएँ नोटिस में निर्दिष्ट बिंदुओं पर जानकारी प्रस्तुत की।

/

18. इसके बाद, एओ ने अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने के बाद, 31.12.2003 पर एक आदेश पारित किया जिसमें यह पाया गया कि इस अपीलार्थी ने भी समन का पालन नहीं किया। एओ ने 1992 के अधिनियम की धारा 15 ए (ए) के अंतर्गत इस अपीलार्थी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

/

19. इस अपीलार्थी ने देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन के साथ एस. ए. टी. के समक्ष 31.12.2003 दिनांकित आदेश के खिलाफ 05.10.2004 पर 2006 की अपील संख्या 133 को भी प्राथमिकता दी।एस. ए. टी. ने 10.11.2006 पर देरी की माफी के लिए आवेदन के साथ-साथ इस आधार पर दायर अपील को खारिज कर दिया कि अपील में समय की पाबंदी थी और देरी के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

/

20. एस. ए. टी. द्वारा अपील को खारिज करने के बाद, अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष 2007 की सिविल अपील संख्या 2289 को प्राथमिकता दी, जिसके तहत इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि एस. ए. टी. के समक्ष अपील दायर करने में देरी को माफ कर दिया जाए, बशर्ते अपीलार्थी एस. ई. बी. आई. को लागत के रूप में रु. 1,25,000 की राशि जमा करे। रुपये. 1,25,000-की लागत जमा करने पर, SAT ने 2006 की अपील संख्या 133 की सुनवाई की और दिनांक 07.01.2009 के आक्षेपित आदेश द्वारा प्रतिवादी के दिनांकित 31.12.2003 के आदेश को बरकरार रखा और अपील को खारिज कर दिया।21. एस. ए. टी. की प्रासंगिक टिप्पणियों और निर्णयों को निम्नानुसार समाहित किया गया हैः

/

/

(i) जब जांच चल रही थी, अपीलकर्ताओं और हेरफेर में शामिल अन्य संस्थाओं ने उन्हें जारी किए गए समन का जवाब नहीं देकर जांच को रोकने की कोशिश की।

/

((ii) यह स्पष्ट है कि इस तथ्य के अलावा कि अपीलार्थियों के प्रतिनिधि का बयान दर्ज नहीं किया जा सका, यह दस्तावेजों के अनुलग्नक के अनुसार जानकारी प्रदान करने में भी विफल रहा।कि अपीलार्थी जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं होने पर तुले हुए थे और यह भी तय किया गया था कि वे जानकारी प्रस्तुत नहीं करेंगे और

/

उससे दस्तावेज मांगे गए।समन का पालन नहीं करने के लिए एस. ई. बी. आई. ने न्यायिक कार्यवाही शुरू की।ए. ओ. ने पाया कि अपीलकर्ता जानबूझकर समन का जवाब देने में विफल रहे और अधिनियम की धारा 5 ए (ए) के अंतर्गत उनमें से प्रत्येक पर एक करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया। (iii) एस. ए. टी. इस तर्क से सहमत नहीं था कि जुर्माना 5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकता है। 1,50,000-।अधिनियम की धारा 15 ए (ए), जैसा कि यह मूल रूप से थी, में ऐसी प्रत्येक विफलता के लिए रुपये से अधिक के जुर्माने का प्रावधान किया गया था।" हालाँकि इस प्रावधान को 2002 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था, जिसका उद्देश्य जुर्माना को और अधिक निवारक बनाना था और "प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया था, जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है या एक करोड़ रुपये, जो भी कम हो। "

/

/

2009 की सिविल अपील संख्या 1742 में अपीलार्थी ने अगस्त, 2001 में पहली बार समन का उल्लंघन किया और उस गैर-अनुपालन के लिए उसके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए एस. ई. बी. आई. के लिए खुला था।अपीलार्थी ने जून, 2002 में फिर से समन का उल्लंघन किया।उस गैर-अनुपालन के लिए भी एस. ई. बी. आई. इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता था।यदि एस. ई. बी. आई. ने अपीलार्थी के खिलाफ उन गैर-अनुपालनों के लिए कार्रवाई की होती, जो दो अलग-अलग गलतियों का गठन करते थे, तो देय जुर्माना अपरिवर्तित प्रावधानों के अंतर्गत होता।

/

/

((iv) कि एस. ई. बी. आई. ने उन गैर-अनुपालनों के लिए 2009 की सिविल अपील संख्या 1742 में अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और अप्रैल 2003 में नए समन जारी करने का विकल्प चुना, इसका अर्थ है कि उसने पहले की खामियों को माफ कर दिया और अपीलार्थी को जानकारी प्रस्तुत करने और बयान देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का एक नया अवसर दिया।यदि अपीलकर्ताओं ने समन का पालन किया होता, तो पहले के गैर-अनुपालन के लिए उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए एस. ई. बी. आई. के लिए यह खुला नहीं होता।

/

/

(v) आई. डी. 1 पर जारी समन का गैर-अनुपालन 2009 की सिविल अपील संख्या 1742 में अपीलार्थी द्वारा किया गया एक नया अपराध था, जिसके लिए एस. ई. बी. आई. ने कार्रवाई की, जिसकी कार्यवाही आक्षेपित आदेश के पारित होने में समाप्त हुई।चूंकि यह गलती अप्रैल 2003 में की गई थी जिसके द्वारा ए

/

जब तक संशोधित प्रावधान लागू हुए, उन प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाया जाना था।एस. ए. टी. ने पाया कि इस प्रकार, संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माना लगाने में ए. ओ. की कार्रवाई में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है।ऊपर बताए गए उसी कारण से, 2009 की सिविल अपील संख्या 5833 में अपीलार्थी के खिलाफ जुर्माना लगाने में ए. ओ. की कार्रवाई को उचित माना गया और इसमें कोई गलती नहीं पाई गई।

/

(vi) अधिनियम की धारा 11 सी को 29.10.2002 से लागू किया गया था और उप-धारा (3) में प्रावधान है कि जांच प्राधिकरण प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी भी व्यक्ति से "ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने, या ऐसी पुस्तकें, या रजिस्टर, या अन्य दस्तावेज, या उसके सामने रिकॉर्ड प्रस्तुत करने" की आवश्यकता हो सकती है।किसी व्यक्ति को कोई भी जानकारी या रिकॉर्ड या दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश देने की शक्ति में ऐसे व्यक्ति को बयान देने और उसके द्वारा प्रस्तुत जानकारी और दस्तावेजों के संबंध में स्पष्टीकरण देने का निर्देश देने की

शक्ति शामिल है।इस तरह की शक्ति के अभाव में, धारा 11 सी को लागू करने में विधायिका का उद्देश्य विफल हो जाएगा और एस. ई. बी. आई. बाजार की अनियमितताओं और अपराधों की ठीक से जांच नहीं कर पाएगा।इसलिए, धारा 11 सी (3) जांच प्राधिकरण को कोई भी जानकारी, दस्तावेज या रिकॉर्ड प्रस्तुत करते समय किसी भी व्यक्ति को बयान देने के लिए कहने की शक्ति देती है।

/

/

/

(vii) कि ए. ओ. के दिनांकित 28.11.2003 और 31.12.2003 के आदेशों में ऐसे निष्कर्ष दर्ज नहीं किए गए जो कारण बताए जाने से परे थे।

/

(viii) कि लगाया गया जुर्माना अत्यधिक नहीं था और इसे कम करने की आवश्यकता नहीं है। उस जुर्माने को इस आधार पर कम नहीं किया जा सकता है कि यह केवल 1992 के अधिनियम की धारा 5 ए (ए) के अपरिवर्तित प्रावधानों के अंतर्गत लगाया जा सकता है क्योंकि अपीलकर्ताओं से मांगी जा रही जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जानबूझकर रोक दिया गया था।

/

(ix) कि अपीलकर्ता केतन पारेख और उनकी कंपनियों को एस. टी. आई. एल. के शेयरों की कीमत में हेरफेर करने में सहायता और प्रोत्साहन दे रहे थे और यही कारण है कि वे जांच में बाधा डालने और देरी करने की कोशिश कर रहे थे।

/

22. हमने अपीलार्थियों की विद्वान वकील सुश्री दीक्षा मिश्रा और श्री को सुना है। सी. यू. सिंह, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने उनके निर्देश देने वाले वकील द्वारा विधिवत सहायता की और रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया।

23. यहाँ अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों का सारांश इस प्रकार दिया गया हैः

/

(i) कि 2009 की सिविल अपील संख्या 1742 में अपीलार्थी द्वारा दिनांकित 27.08.2001,10.06.2002,18.06.2002 और 01.04.2003 समन का कथित रूप से पालन न करने के लिए और 2009 की सिविल अपील संख्या 5833 में अपीलार्थी द्वारा दिनांकित 10.06.2002,18.06.2002 और 09.04.2003 समन का कथित रूप से पालन न करने के लिए एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।अधिकतम जुर्माना रु। 1,50,000-1992 के अधिनियम की असंशोधित धारा 15 ए (ए) के अनुसार, यदि लागू किया जाना चाहिए था, जैसा कि समन जारी होने की तारीख को था।जहां तक 2009 की सिविल अपील संख्या 1742 में दिनांकित आई. डी. 2 के समन जारी करने और 2009 की सिविल अपील संख्या 5833 में दिनांकित आई. डी. 1 के समन का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया था कि यह पहले जारी किए गए समन की निरंतरता में है और इसे अलग और अलग तरीके से नहीं माना जा सकता है।कि इसमें दोनों अपीलकर्ताओं ने पहले ही समन का जवाब दे दिया था और इस प्रकार, एक प्रामाणिक विश्वास के अंतर्गत कि समन की आवश्यकताओं का पालन किया गया था।

/

/

/

((ii) कि 2009 के सिविल अपील सं. 1742 के अभिलेख से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि दिनांक 1 और 4 के समन का अनुपालन किया गया था क्योंकि उसमें प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुरोध किए गए सभी दस्तावेजों और सूचनाओं को 2 के पत्र के माध्यम से प्रदान किया गया था जो कि 3 पर प्राप्त हुआ था।इसी तरह, 2009 की सिविल अपील संख्या 5833 में, दिनांकित प्रथम समन के लिए अपीलार्थी की दिनांकित प्रथम प्रतिक्रिया और विस्तृत उत्तर ने एस. ई. बी. आई. के जांच अधिकारी द्वारा उठाए गए प्रश्नों को लगभग संतुष्ट कर दिया। हालाँकि, ए. ओ. द्वारा दिनांकित 31.12.2003 आदेश पारित करते समय इस पर किसी का ध्यान नहीं गया।चूंकि एओ ने एक गलत धारणा पर आगे बढ़ना शुरू किया था, यह मानते हुए कि अपीलार्थी ने कभी भी किसी समन का पालन नहीं किया और कभी भी जांच अधिकारी को कोई जानकारी नहीं दी, वह एक गलत निष्कर्ष पर पहुंचे।

/

/

/

डी. के. जी. बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड v.न्यायनिर्णयन और पूछताछ अधिकारी, S.E.B.I। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

/

(iii) कि 1992 के अधिनियम की धारा 15 ए (ए) का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था क्योंकि धारा 15 ए (ए) केवल उन दस्तावेजों के संबंध में लागू होती है जिन्हें वैधानिक रूप से एस. ई. बी. आई. को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, और यह उन दस्तावेजों पर लागू नहीं होता है जिन्हें उसके द्वारा जारी समन के अनुसार जांच प्राधिकरण को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।"बोर्ड" शब्द, जैसा कि 1992 के अधिनियम में परिभाषित किया गया है, 1992 के अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, जबकि "जांच प्राधिकरण" शब्द को 1992 के अधिनियम की धारा 11 सी के अंतर्गत एक अधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे एस. ई. बी. आई. द्वारा जांच करने और उसे रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है।यह नहीं कहा जा सकता है कि जाँच प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य एस. ई. बी. आई. के साथ सह-व्यापक हैं।

/

/

(iv) कि 1992 के अधिनियम की धारा 5 ए (ए) के अंतर्गत एओ द्वारा लगाया गया जुर्माना अत्यधिक, अपमानजनक और असमर्थनीय है, और आनुपातिकता के सिद्धांत की पूरी तरह से अवहेलना है।1992 के अधिनियम की धारा 5 ए (ए) में केवल यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति जो अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित है, वह एस. ई. बी. आई. को कोई दस्तावेज, विवरणी या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है या एक करोड़ रुपये, जो भी कम हो।29.10.2002 से अधिकतम जुर्माना एक लाख पचास हजार रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया था। 29.10.2002 से पहले, इस धारा के अंतर्गत देय जुर्माना केवल एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक की राशि तक सीमित था।यह मानते हुए कि अपीलकर्ताओं ने 1992 के अधिनियम की धारा 5 ए (ए) के प्रावधानों का उल्लंघन किया था, अधिकतम जुर्माना जो लगाया जा सकता था, उसकी गणना अपरिवर्तित प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए, जैसा कि उस समय लागू था जब अपराध करने का आरोप लगाया गया था और समन जारी किए गए थे, न कि बढ़े हुए दंड के रूप में जो बाद के संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था जो केवल 29.10.2002 से प्रभावी हुआ था।

/

/

/

/

(v) इसके अलावा, ए. ओ. ने, उपरोक्त जुर्माना लगाने में, 1992 के अधिनियम की धारा 15 जे के प्रावधानों की अवहेलना की है जो निम्नानुसार हैः

" 15 जे. जुर्माने की मात्रा का निर्णय करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक।—निर्णय लेते हुए

/

15-I या धारा 11 या धारा 11B के अंतर्गत जुर्माने की मात्रा, बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी को निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना होगा, अर्थात्ः—

(क) चूक के परिणामस्वरूप किए गए असमान लाभ या अनुचित लाभ-हानि की राशि, जहां भी मात्रात्मक हो;

/

(ख) चूक के परिणामस्वरूप किसी निवेशक या निवेशकों के समूह को हुए नुकसान की राशि;

(ग) पूर्वनिर्धारित की दोहराव वाली प्रकृति।" इस प्रकार, धारा 15 जे के प्रावधान एओ के लिए दंड की मात्रा की गणना करते समय संबंधित धारा में बताए गए कारकों पर विचार करना अनिवार्य बनाते हैं, जैसा कि उक्त धारा में 'होगा' शब्द के उपयोग द्वारा प्रदान किया गया है। 2009 की सिविल अपील संख्या 1742 में ए. ओ. का दिनांकित 28.11.2003 आदेश और 2009 की सिविल अपील संख्या 5833 में दिनांकित 31.12.2003 आदेश अपीलार्थियों के उद्देश्य या अपीलार्थियों को उपार्जित किसी भी लाभ के साथ-साथ अपीलार्थियों द्वारा कथित उल्लंघनों के कारण अनिर्दिष्ट आम निवेशकों द्वारा मात्रात्मक शर्तों में किए गए नुकसान, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार ठहराने में विफल रहता है।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ए. ओ. जुर्माने की मात्रा तय करते समय उक्त कारकों को ध्यान में रखने में विफल रहा है, विशेष रूप से तब जब अपीलकर्ता पहले ही जांच अधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत कर चुके थे।

/

/

/

(vi) कि प्रत्यर्थी द्वारा 1992 के अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत अपीलकर्ताओं को जारी किए गए समन विधि ी रूप से गैर-विधि ी हैं क्योंकि यह धारा SEBI को अपीलकर्ताओं जैसी कंपनियों को बुलाने और उपस्थित होने के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं देती है।इसलिए, इस तरह के समन का पालन न करने से कोई परिणाम नहीं हो सकता है। 2002 में संशोधन से पहले, एस. ई. बी. आई. की शक्तियां स्टॉक एक्सचेंजों, म्यूचुअल फंडों, प्रतिभूति बाजार से जुड़े अन्य व्यक्तियों, मध्यस्थों और स्व-नियामक संगठनों के अधिकार क्षेत्र तक सीमित थीं।2002 के संशोधन के बाद, एस. ई. बी. आई. का अधिकार क्षेत्र सूचीबद्ध कंपनियों या कंपनियों तक बढ़ गया जो अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने का प्रस्ताव करती हैं।हालाँकि, किसी भी स्थिति में धारा 11 (3) एस. ई. बी. आई. को ए. की उपस्थिति या उत्पादन को मजबूर करने का अधिकार नहीं देती है।

/

/

/

259

डी. के. जी. बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड v.न्यायनिर्णयन और पूछताछ अधिकारी, S.E.B.I। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

यहाँ अपीलकर्ताओं जैसी कंपनियों द्वारा दस्तावेज क्योंकि अपीलकर्ता एक विनियमित मध्यस्थ के रूप में एस. ई. बी. आई. के साथ पंजीकृत नहीं हैं।इसके अलावा, 1992 के अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत भी, दस्तावेजों को पेश करने और पेश करने के लिए मजबूर करने की एस. ई. बी. आई. की शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सी. पी. सी.) के अंतर्गत सिविल कोर्ट में निहित शक्तियों तक सीमित है, जो विशेष रूप से सी. पी. सी. की धारा 32 में निहित है, जिसमें प्रावधान है कि न्यायालय किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए मजबूर कर सकती है जिसे सी. पी. सी. की धारा 30 के अंतर्गत समन जारी किया गया है और उस उद्देश्य के लिए, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकती है, उसकी संपत्ति कुर्क कर सकती है और बेच सकती है, उस पर पांच सौ रुपये से अधिक का जुर्माना लगा सकती है, या उसे अपनी उपस्थिति के लिए सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दे सकती है और चूक में उसे सिविल जेल में भेज सकती है।

/

/

(vii) कि 28.11.2003 और 31.12.2003 दिनांकित आदेश प्राकृतिक न्याय और वैधानिक प्रक्रिया के सिद्धांतों के उल्लंघन और गंभीर उल्लंघन में पारित किए गए हैं और 1992

के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एओ पर डाले गए कर्तव्यों की सचेत अवहेलना की गई है। यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि ए. ओ. ने, एक जांच अधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट के अभाव में, तथ्य खोजने, जांच करने, संचालन करने, सुनवाई करने, शोध करने, एक रिपोर्ट तैयार करने और फिर उस पर स्वयं निर्णय लेने का काम अपने हाथों में लिया।इस प्रकार, जाँच और निर्णय लेने की भूमिका एक ही व्यक्ति द्वारा निभाई गई है।(viii) संबंधित आदेश विधि में खराब हैं और प्राकृतिक न्याय, वैधानिक प्रक्रिया के सिद्धांतों के उल्लंघन और 1992 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिवादी पर लगाए गए कर्तव्यों की सचेत अवहेलना में पारित किए गए हैं।

/

/

/

24. दोनों अपीलों में प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों को संक्षेप में नीचे दिया गया है:

(i) यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि अपीलकर्ताओं द्वारा 2009 की सिविल अपील संख्या 1742 में दिनांकित 27.08.2001,10.06.2002,18.06.2002 और 01.04.2003 के समन और 2009 की सिविल अपील संख्या 5833 में प्रत्यर्थी द्वारा जारी किए गए 10.06.2002,18.06.2002 और 09.04.2003 के समन का कोई अनुपालन नहीं किया गया है।

/

/

एस. टी. आई. एल. के लेख में उसके लेन-देन के संदर्भ में कुछ दस्तावेज और जांच प्राधिकरण को जानकारी प्रस्तुत करना।

((ii) अपीलकर्ताओं ने जांच अधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया और एक बड़े सार्वजनिक हित से जुड़े मामले में जारी समन का पालन नहीं किया क्योंकि एस. टी. आई. एल. के लेख में मूल्य हेरफेर और एस. टी. आई. एल. के प्रति शेयर Rs.10 पर 10,00,000 शेयरों के अधिग्रहण की पृष्ठभूमि के खिलाफ अपीलकर्ताओं की भूमिका की प्रभावी ढंग से जांच करने के लिए समन के संदर्भ में मांगी गई जानकारी आवश्यक थी, जब अन्य को प्रति शेयर Rs.150

पर आवंटित किया गया था। एस. टी. आई. एल. के 03.11.2000 पर 3,00,000 शेयरों की डिलीवरी की परिस्थितियाँ, गोल्डफिश कंप्यूटर को Rs.160 प्रति शेयर पर 2,00,000 शेयरों की बिक्री के बारे में विवरण, 02.11.2000 पर गोल्डफिश कंप्यूटर के पक्ष में 2,00,000 शेयरों पर डी. ई. एम. ए. टी. खाते में डेबिट आदि उक्त समन के जवाब में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

/

/

/

((ग) इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता एस. टी. आई. एल. के लेख के मूल्य में हेरफेर करने में केतन पारेख और उनकी कंपनियों को सहायता और प्रोत्साहन दे रहे थे और इसमें अपीलकर्ता प्रत्यर्थी द्वारा शुरू की गई जांच को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अपीलकर्ताओं पर लगाए गए जुर्माने की मात्रा अपराध के अनुरूप है और इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं करने का वारंट है।

/

(iv) 1992 के अधिनियम की धारा 11 सी (3) के प्रावधान प्रत्यर्थी को कोई भी जानकारी, दस्तावेज और रिकॉर्ड प्रस्तुत करते समय किसी भी व्यक्ति को बयान देने के लिए कहने का अधिकार देते हैं।(v) 1992 के अधिनियम की धारा 15 ए (ए) का उल्लेख 1992 के अधिनियम के अध्याय VI ए में मिलता है, जिसे जनवरी, 1995 में पेश किया गया था।इस प्रावधान को 2002 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था, जिसका उद्देश्य दंड को और अधिक निवारक बनाना था।आई. डी. 1 से संशोधित इस प्रावधान में प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, के लिए एक करोड़ रुपये, जो भी कम हो, के जुर्माने का प्रावधान है।अपीलार्थियों पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना उचित रूप से लगाया गया है।

/

/

/

/

(vi) जिन समन का अपीलार्थियों द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था, वे क्रमशः 01.04.2003 और 09.04.2003 में जारी किए गए थे।इसलिए, क्रमशः 28.11.2003 और 31.12.2003 दिनांकित आदेशों में लगाया गया जुर्माना 1992 के अधिनियम की धारा 15 ए (ए) के संशोधित प्रावधानों के अनुसार बढ़ी हुई दर पर था।

/

(vii) कि इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए 1992 के अधिनियम की धारा 15Z द्वारा अनुध्यात विधि का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।25. संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, यह ध्यान दिया जाता है कि अपीलकर्ता क्रमशः 2006 की अपील संख्या 106 और 2006 की अपील संख्या 133 में एस. ए. टी., मुंबई के दिनांकित आदेशों को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें प्रत्येक मामले में ए. ओ. द्वारा पारित क्रमशः दिनांकित आदेशों को बरकरार रखा गया है, जिसमें 1992 के अधिनियम की धारा 15 ए (ए) के अंतर्गत प्रत्येक अपीलार्थी पर एक करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि वे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और विवरण प्रस्तुत करने के लिए अपीलकर्ताओं को जारी समन का पालन करने में विफल रहे हैं। तत्काल संदर्भ के लिए 1992 के अधिनियम की धारा 15 ए (ए) को प्रासंगिक समय पर निम्नानुसार निकाला गया हैः

/

/

/

“ 15 ए. जानकारी, वापसी आदि प्रस्तुत करने में विफलता के लिए जुर्माना।

- यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या विनियमों के अंतर्गत आवश्यक है, -

(क) बोर्ड को कोई दस्तावेज, विवरणी या रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, वह उसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वह प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है या एक करोड़ रुपये, जो भी कम हो। "

/

26. इससे पहले कि यह न्यायालय वर्तमान मुद्दों पर विचार करे, यह उल्लेख करना उचित है कि एस. ई. बी. आई. ने अपनी जांच के दौरान यह निष्कर्ष निकाला था कि अपीलकर्ताओं ने कई अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर केतन पारेख और उनकी कंपनियों को प्रतिभूति बाजार में हेरफेर करने में मदद की थी और इस तरह विनियम 4 का उल्लंघन किया था।एस. ई. बी. आई. ने संबंधित आदेश में कहा था कि "मामले का इतिहास सभी को स्थापित करता है।

/

केतन पारेख संस्थाओं सहित विभिन्न लोगों को एस. टी. आई. एल. के शेयरों के आवंटन से लेकर लुभाने और फंसाने की पराकाष्ठा तक अनधिकृत गतिविधियों की एक श्रृंखला की सामग्री।

/

हस्तांतरण के एक जाल के माध्यम से संस्थाओं द्वारा वास्तविक निवेशकों की संख्या लगभग प्रतिभूति बाजार की अखंडता को नष्ट कर सकती है, प्रणाली को कमजोर कर सकती है और अनुचित लाभ को उलझाने के लिए एक उपजाऊ जमीन प्रदान कर सकती है। "

27. यद्यपि यह नोट किया गया है कि अपीलकर्ताओं ने इसमें एस. ई. बी. आई. के उपरोक्त आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है, जो अब अपीलकर्ताओं के लिए अंतिम हो गया है, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वर्तमान विवाद उपरोक्त जांच की पृष्ठभूमि में उत्पन्न होता है, जिसमें एस. ई. बी. आई. के जांच प्राधिकरण ने 1992 के अधिनियम की धारा 11 सी (3) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ताओं से ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने और ऐसे दस्तावेज और अभिलेख पेश करने का आह्वान किया था जो उपरोक्त जांच के उद्देश्यों के लिए आवश्यक माने गए थे।28. जाँच प्राधिकरण ने यहाँ अपीलकर्ताओं को विभिन्न तिथियों पर समन जारी किया था, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, जिसमें अपीलकर्ताओं को उपस्थित होने और कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने और समन के अनुलग्नक में विशेष रूप से सूचीबद्ध जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।अपीलार्थी जारी किए गए किसी भी समन का जवाब देने में विफल रहे और जांच प्राधिकरण के समक्ष आवश्यक दस्तावेजों और उससे मांगी गई जानकारी के साथ उपस्थित होने में विफल रहे।उक्त गैर-अनुपालन के कारण, एस. ई. बी. आई. ने अपीलार्थियों के खिलाफ अलग निर्णय कार्यवाही शुरू की।एओ ने इस निष्कर्ष के साथ 28.11.2003 और 31.12.2003 दिनांकित आदेश पारित किए कि अपीलार्थी जानबूझकर समन का जवाब देने में विफल रहे थे, और इस प्रकार 1992 के अधिनियम की धारा 15 ए (ए) के अंतर्गत प्रत्येक अपीलार्थी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

/

/

/

/

29. उक्त आदेशों को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ताओं ने एस. ए. टी. के समक्ष देरी को माफ करने के लिए संबंधित आवेदनों के साथ 2006 की अपील संख्या 106 और 2006 की अपील संख्या 133 दायर की। प्रारंभ में, एस. ए. टी. ने उपरोक्त आवेदनों और अपीलों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलें विलंबित और समय-बाधित थीं और अपीलकर्ता अपील

दायर करने में देरी को सही ठहराने के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे थे।इसके बाद, इस न्यायालय ने 2006 की सिविल अपील संख्या 4975 और 2007 की सिविल अपील संख्या 2289 में दिनांकित आदेश पारित किए, जिसमें एस. ए. टी. को अपील दायर करने में देरी को माफ करने का निर्देश दिया गया, बशर्ते कि अपीलकर्ताओं ने इसमें रु. 1,25,000-छह सप्ताह की अवधि के भीतर SEBI को लागत के रूप में।

/

/

30. इस प्रकार, एस. ए. टी. द्वारा 2006 की अपील सं. 106 और 2006 की अपील सं. 133 की सुनवाई की गई, जिसने मामले की सुनवाई करते हुए ए. ओ. के दिनांक ए. के आदेशों को बरकरार रखते हुए एक तर्कपूर्ण सामान्य आदेश पारित किया।

/

263

डी. के. जी. बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड v.न्यायनिर्णयन और पूछताछ अधिकारी, S.E.B.I। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

28.11.2003 और 31.12.2003 क्रमशः, और अपीलों को खारिज करना।एस. ए. टी. दिनांक 07.01.2009 के उपरोक्त निर्णय को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ताओं ने वर्तमान दीवानी अपील दायर की है।

31. अपीलार्थियों का प्राथमिक तर्क यह है कि समन का गैर-अनुपालन एक निरंतर गलत नहीं है और यह कि क्रमशः 01.04.2003 दिनांकित समन और 09.04.2003 दिनांकित समन पहले के समन की निरंतरता में जारी किए गए थे, और इसे अलग और असंगत तरीके से नहीं माना जा सकता है।इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि समन का पालन न करने के लिए एओ द्वारा लगाया गया एक करोड़ रुपये का जुर्माना अत्यधिक, अस्थिर और असमर्थनीय है, और आनुपातिकता के सिद्धांत और विधि की सीमाओं की पूरी तरह से अवहेलना है। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि अधिकतम जुर्माना रु। 1,50,000-1992 के अधिनियम की असंशोधित धारा 15 ए (ए) के अनुसार, यदि लागू किया जा सकता है, जैसा कि यह उस तारीख को था जब समन पहली बार जारी किए गए थे।अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि धारा 15 ए (ए) के अंतर्गत जुर्माने की अधिकतम राशि को 1992 के अधिनियम में एक संशोधन के माध्यम से एक लाख पचास हजार रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया था और यह मानते हुए कि अपीलकर्ताओं ने धारा 5 ए (ए) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, अधिकतम जुर्माने की गणना बिना संशोधन के प्रावधान के अनुसार की जानी चाहिए न कि बढ़े हुए जुर्माने के अनुसार।

/

/

/

/

32. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं ने पहली बार क्रमशः अगस्त, 2001 और जून, 2002 में समन का उल्लंघन किया था।इसके बाद, एस. ई. बी. आई. ने कई समन जारी किए, जिसमें अपीलकर्ताओं को उपस्थित होने और दस्तावेज़ प्रस्तुत करने और आवश्यकतानुसार जानकारी प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। लेकिन, अपीलार्थी जाँच के दौरान 2001-2002 की अवधि के दौरान जारी किए गए किसी भी समन का जवाब देने में विफल रहे।इसके बाद, एस. ई. बी. आई. ने 2009 की सिविल अपील संख्या 1742 में अपीलार्थी के संबंध में और 2009 की सिविल अपील संख्या 5833 में अपीलार्थी के संबंध में नए समन जारी किए ताकि अपीलार्थी जांच में सहयोग कर सकें।हमारे विचार में, क्रमशः 01.04.2003 और 09.04.2003 दिनांकित नए समन का पालन न करना, अपीलार्थियों द्वारा किया गया एक नया अपराध था।इस प्रकार, 1992 के अधिनियम की धारा 15 ए (ए) के संशोधित प्रावधान उपरोक्त संशोधन के बाद जारी किए गए समन के संबंध में अपीलार्थियों पर जुर्माना लगाते समय लागू होंगे।

/

/

/

33. 1992 के अधिनियम की धारा 5 ए (ए) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति जो अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या विनियमों के अंतर्गत आवश्यक है, वह कोई दस्तावेज, विवरण या रिपोर्ट एस. ई. बी. आई. को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह विफलता के प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा, और यदि ऐसी विफलता जारी रहती है तो यह विफलता के प्रति दिन एक लाख रुपये या एक करोड़ रुपये, जो भी कम हो, होगा।इस प्रकार, एक करोड़ रुपये अधिकतम जुर्माना है जो लगाया जा सकता है यदि उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत विचार की गई विफलता एक सौ दिनों को पार कर जाती है; अन्यथा, यह एक सौ दिनों तक की विफलता के दिनों की संख्या के अनुसार है।

/

34. इस प्रकार, एओ द्वारा लगाया गया और एस. ए. टी. द्वारा बरकरार रखा गया एक करोड़ रुपये का जुर्माना उचित है और प्रासंगिक प्रावधान के दायरे में है।वर्तमान मामलों के तथ्यों पर उक्त प्रावधान को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी क्रमशः 01.04.2003 और 09.04.2003 दिनांकित समन का पालन करने में विफल रहे थे।इसके बाद, एओ ने क्रमशः 28.11.2003 और 31.12.2003 पर अपीलार्थियों पर जुर्माना लगाने का अपना आदेश पारित किया था।चूंकि दोनों अपीलार्थियों द्वारा किए गए गैर-अनुपालन की चूक की अवधि प्रत्येक मामले में समन जारी होने की तारीख से 100 दिनों की अवधि से अधिक थी, इसलिए एओ ने 1992 के अधिनियम की धारा 15 ए (ए) को अधिक विशेष रूप से दंड की अधिकतम सीमा के संबंध में लागू किया था, जो प्रावधान के अंतर्गत लगाई जा सकती थी, यानी एक करोड़ रुपये।

/

/

35. इसके अलावा, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने आयकर आयुक्त में इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर भरोसा रखा है,

/

अहमदाबाद बनाम गोल्ड कॉइन हेल्थ फूड प्रा. लिमिटेड **(2008) 9** एस. सी. सी. **622;** सी. जे. पॉल और अन्य। बनाम।जिला कलेक्टर और अन्य। **(2009) 14** एससीसी **564;** रितेश अग्रवाल और ओआरएस बनामभारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और अन्य। **(2008) 8** एस. सी. सी. **205;** और आयकर आयुक्त**,** लखनऊ बनाम मेसर्स ओंकार सरन और पुत्र **(1992) 2** एस. सी. सी. **514** और एस. ए. टी. के निर्णय अर्थात् श्री संदीप कुमार गुप्ता बनाम एस. ई. बी. आई. **(**अपील सं. **2013** का **102);** और आइरिस इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड बनाम।एस. ई. बी. आई.

/

(2006 की अपील संख्या 2) यह प्रस्तुत करने के लिए कि संशोधित धारा 15 ए (ए) के अंतर्गत लगाया गया जुर्माना उक्त मामले पर लागू नहीं हो सकता है क्योंकि अपराध संशोधित प्रावधान के प्रभाव में आने से पहले किया गया था, और इस प्रकार, रु। 1,50,000-जैसा कि अपरिवर्तित प्रावधान में दिया गया है, लागू किया जाना चाहिए।दूसरे शब्दों में, संशोधित प्रावधान को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है।

/

36. अपीलार्थी के उक्त तर्क को पहले ही इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि 01.04.2003 A दिनांकित समन का गैर-अनुपालन

/

265

डी. के. जी. बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड v.न्यायनिर्णयन और पूछताछ अधिकारी, S.E.B.I। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

जाँच प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया एक नया अपराध है और यह 1992 के अधिनियम की संशोधित धारा 15 ए (ए) के प्रावधानों को आकर्षित करेगा। इस मामले के तथ्यों के आलोक में, किसी क़ानून/विधि के प्रावधान के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और इस प्रकार, उपरोक्त निर्णयों में उठाए गए प्रस्ताव और विधि ी सिद्धांत वर्तमान मामले पर लागू नहीं होंगे।

/

37. इसके बाद, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने एस. ए. टी. के कई आदेशों पर भरोसा किया, जिसमें एस. ए. टी. ने 1992 के अधिनियम की धारा 15 ए (ए) के अंतर्गत लगाए गए जुर्माने को इस आधार पर कम कर दिया कि ए. ओ. अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए दंड की मात्रा निर्धारित करने में 1992 के अधिनियम की धारा 15 जे में दिए गए विशिष्ट कारकों पर विचार करने में विफल रहा था। ये

/

केस रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम हैं।भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(**अपील सं**. 106/2013);** पद्मिनी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनामएस**.** ई**.** बी**.** आई**. (**अपील सं**. 2004** का **36);** विवेक नागपाल बनाम सेबी **(**अपील सं। **2004** का **37);** मुकेश मल्होत्रा बनाम सेबी **(**अपील सं। **101/2004);** एडवांस होवरक्राफ्ट्स एंड कम्पोजिट्स इंडिया लिमिटेड**,** दिल्ली बनाम। न्यायनिर्णायक और पूछताछ अधिकारी**,** एस**.** ई**.** बी**.** आई**. (**अपील सं**. 61/05);** स्पेक्ट्रम।कॉम प्राइवेट लिमिटेड बनाम **SEBI (2006** की अपील संख्या **119);** और राशि चक्र।कॉम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बनामन्यायनिर्णायक और पूछताछ अधिकारी**,** एस**.** ई**.** बी**.** आई**. (2006** की अपील सं**. 105)**।

/

38. ऊपर यह उल्लेख किया गया है कि एस. ई. बी. आई. द्वारा की गई जांच, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि अपीलकर्ता और अन्य संस्थाएं वर्ष 2000 और 2001 में प्रतिभूति बाजार में धांधली करने में केतन पारेख और उनकी कंपनियों को सहायता देने और उकसाने में शामिल थीं, को अपीलकर्ताओं द्वारा किसी भी समय चुनौती नहीं दी गई थी।इस प्रकार, एस. ई. बी. आई. के प्रासंगिक आदेश को अंतिम रूप मिल गया था।उक्त जाँच में पाया गया था कि अपीलकर्ता एस. टी. आई. एल. के शेयरों के आवंटन से लेकर केतन पारेख की

संस्थाओं सहित विभिन्न लोगों को हस्तांतरण के एक जाल के माध्यम से शेयरों के कुछ अनधिकृत हस्तांतरण में शामिल थे, जो वस्तुतः प्रतिभूति बाजार की अखंडता को नष्ट कर सकता है, प्रणाली को कमजोर कर सकता है और अनुचित लाभ को उलझाने के लिए एक उपजाऊ आधार प्रदान कर सकता है।जाँच ने यह भी निष्कर्ष निकाला था कि अपीलकर्ताओं ने बाजार में हेरफेर करके ऐसी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में भूमिका निभाई थी, और अपराध के इस निष्कर्ष को अपीलकर्ताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और इस प्रकार स्वीकार किया जाता है।

/

/

/

39. जैसा कि एस. ए. टी. द्वारा अपने दिनांक 07.01.2009 के आदेश में उचित रूप से देखा गया है, समन के अनुपालन में अपीलार्थियों द्वारा जानकारी प्रस्तुत न करने को हल्के में नहीं देखा जा सकता है, विशेष रूप से जब अपीलार्थी इस तरह के गंभीर प्रकृति के अपराधों में शामिल थे जो उनके लिए हानिकारक थे।

/

वास्तविक निवेशकों के हित और प्रतिभूति बाजार के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए। जबकि अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने क्रमशः 02.07.2001 और 26.07.2001 दिनांकित समन का जवाब दिया था और उसमें आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, यह पहले ही माना जा चुका है कि क्रमशः 01.04.2003 और 09.04.2003 दिनांकित समन अपीलकर्ताओं को अलग-अलग नए निर्देशों के रूप में जारी किए गए थे।उक्त नए समन का जवाब न देने और जांच प्राधिकरण के समक्ष पेश न होने के कारण अपीलार्थियों के बयान दर्ज नहीं किए जा सके और इससे जांच में बाधा आई है।अपीलार्थी क्रमशः 01.04.2003 और 09.04.2003 दिनांकित समन के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहे थे और इस प्रकार, जांच के संचालन को प्रभावित किया था।अपीलार्थियों का क्रमशः 02.07.2001 और 26.07.2001 दिनांकित एक समन का अनुपालन, यदि कोई हो, किसी भी तरह से, अपीलार्थियों को उसके बाद कई तारीखों पर जारी किए गए समन का पालन करने की उनकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है। अपीलार्थी जाँच प्राधिकरण के साथ पूरा सहयोग करने और समय-समय पर जाँच के लिए

आवश्यक सभी दस्तावेजों, अभिलेख और सूचनाओं को तुरंत प्रस्तुत करने के लिए बाध्य थे। ऐसा करने में विफल रहने पर, अपीलार्थी ने जांच में स्पष्ट रूप से बाधा डाली और बाधा डाली।

/

/

/

40. अपीलार्थियों और अन्य संस्थाओं द्वारा किए गए अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, और जांच के दौरान इसमें बाधा डालने के प्रयास में अपीलार्थियों के असहयोगी रवैये को ध्यान में रखते हुए, 1992 के अधिनियम की धारा 15 ए (ए) के अंतर्गत लगाए गए दंड की मात्रा उचित है और 1992 के अधिनियम की धारा 15 जे में सूचीबद्ध कारकों पर प्रभावी विचार किया गया है।

/

/

41. इस संदर्भ में, 1992 के अधिनियम की धारा 15 जे के स्पष्टीकरण को भी संदर्भित किया जाना चाहिए ताकि 1992 के अधिनियम की धारा 15 ए (ए) के अंतर्गत दंड की मात्रा का निर्णय लेने में 1992 के अधिनियम की धारा 15 जे के अंतर्गत कारकों पर विचार करने के संबंध में अपीलार्थियों के तर्क को अस्वीकार किया जा सके। 1992 के अधिनियम की धारा 15 जे का स्पष्टीकरण इस प्रकार हैः“संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 15 ए से 15 ई, धारा 15 एफ, 15 जी, 15 एच और 15 एचए के खंड (बी) और (सी) के अंतर्गत दंड की मात्रा का निर्णय करने की शक्ति हमेशा इस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत प्रयोग की गई मानी जाएगी। "

/

/

/

42. वर्तमान मामले के संदर्भ में स्पष्टीकरण को नंगे पढ़ने से एओ के पक्ष में यह धारणा बनती है कि उसने 1992 के अधिनियम की धारा 15 जे में उल्लिखित कारकों पर उचित विचार करने के बाद अपीलार्थियों के खिलाफ दिनांकित 28.11.2003 और 31.12.2003 के आदेश पारित किए हैं।

43. न्यायनिर्णायक अधिकारी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम भावेश पाबरी (2019) 5 एस. सी. सी. 90, ए.

/

इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि-"5. धारा 15 ए (ए) से 15-एचए को धारा 15-जे के साथ इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए ताकि किसी भी विसंगति या प्रतिकूलता से बचा जा सके।हमें टकराव और आमने-सामने की लड़ाई से बचना चाहिए और उक्त प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से समझना चाहिए।एक धारा के प्रावधान का उपयोग दूसरे को निरस्त करने और बाधित करने के लिए तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि दोनों प्रावधानों का मिलान करना असंभव न हो।ऊपर उद्धृत 2017 के अधिनियम 7 द्वारा जोड़ी गई एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-जे. के स्पष्टीकरण ने धारा 15-ए से 15-एच. ए. के अंतर्गत चूक का निर्णय लेते समय लगाए जाने वाले जुर्माने की मात्रा पर धारा 15-जे. के अंतर्गत निर्णय लेने वाले अधिकारी को एक विवेकाधिकार स्पष्ट और निहित किया है।

/

/

9. ... एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-जे के खंड (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित परिस्थितियों की कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती है और एस. ई. बी. आई. अधिनियम के कुछ प्रावधानों, उदाहरण के लिए एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-ए, 15-बी या 15-सी द्वारा किए गए उल्लंघन के मामले में कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती है। जानकारी, वापसी आदि प्रस्तुत करने में विफलता।; ग्राहकों के साथ समझौता करने में विफलता; और निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने में विफलता धारा 15-जे के खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्धारित परिस्थितियों को जन्म नहीं दे सकती है।

/

/

10. ... इसलिए हम यह मानते हैं और मानते हैं कि धारा 15-जे के खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्धारित शर्तें संपूर्ण नहीं हैं और किसी मामले के दिए गए तथ्यों में, धारा 15-जे के खंड (ए), (बी) और (सी) द्वारा गणना की गई परिस्थितियों से परे परिस्थितियां हो सकती हैं जिन पर न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दंड की मात्रा निर्धारित करते समय ध्यान दिया जा सकता है।

/

11. इस स्तर पर, हमें कुछ निजी अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए इस तर्क पर भी विचार करना चाहिए और उसे अस्वीकार करना चाहिए कि धारा 15-जे के खंड (ए) से (सी) में निर्धारित शर्तें अनिवार्य शर्तें हैं जिन्हें धारा 15-ए से 15-एचए में इस अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए कि जब तक कि खंड (ए) से (सी) में निर्दिष्ट शर्तें नहीं हैं

/

268

/

[2022] 19 एस सी आर।

संतुष्ट होने पर, निर्णय अधिकारी द्वारा एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-ए से 15-एच. ए. के मूल प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। यह तर्क बहुत दूर का है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-जे चित्रण (ओं) के माध्यम से उन कारकों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें न्यायनिर्णायक अधिकारी को लगाए जाने वाले जुर्माने की मात्रा निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखना चाहिए।जुर्माना लगाना एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-ए से धारा 15-एच. ए. में निहित मूल प्रावधानों की संतुष्टि पर निर्भर करता है।

/

44. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने भी एमबीएल एंड कंपनी लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले पर सही भरोसा रखा है।

/

बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(2022)** एससीसी ऑनलाइन

एस. सी. 754 ने यह प्रस्तुत करने के लिए कि 1992 के अधिनियम की धारा 15 ए (ए) के अंतर्गत ए. ओ. द्वारा लगाए गए एक करोड़ रुपये के जुर्माने की मात्रा उचित, आनुपातिक और अपीलकर्ताओं की ओर से चूक के अनुरूप थी, क्योंकि अपीलकर्ताओं ने बार-बार एस. ई. बी. आई. की जांच को प्रभावी ढंग से विफल करने के लिए पलायनवादी रणनीति अपनाई थी, और इस प्रकार 1992 के अधिनियम की धारा 15 जेड के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

/

एम. बी. एल. और कंपनी लिमिटेड मामले (उपर्युक्त) में,

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः“11. इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के एक निर्णय में

/

न्यायनिर्णायक अधिकारी**,** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

बनाम भावेश पाबर, यह देखा गया है कि:34. यह न्यायालय , एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-जेड के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, लगाए गए जुर्माने की आनुपातिकता और मात्रा में नहीं जा सकता है, जब तक कि यह उल्लंघन की प्रकृति के लिए स्पष्ट रूप से असमान नहीं है जो इसे आक्रामक, अत्याचारी या असहनीय बनाता है।प्रावधान की प्रकृति से दंड दंडात्मक है।हम केवल तभी हस्तक्षेप कर सकते हैं जब मात्रा पूरी तरह से मनमाना और कठोर हो जिसे कोई भी उचित व्यक्ति प्रदान नहीं करेगा।तत्काल मामले में, तथ्यात्मक निष्कर्षों से इनकार नहीं किया जाता है और इस प्रकार, हम दंड की मात्रा के साथ हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।लगाया गया जुर्माना न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित है और इस प्रकार इसे बरकरार रखा गया है।

/

/

12. उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट होता है कि जुर्माना लगाना एस. ई. बी. आई. ए. की धारा 15 जेड के अंतर्गत हस्तक्षेप के अधीन है।

/

269

डी. के. जी. बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड v.न्यायनिर्णयन और पूछताछ अधिकारी, S.E.B.I। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

केवल वहाँ कार्य करें जहाँ मात्रा पूरी तरह से मनमाना और कठोर या उल्लंघन की प्रकृति के लिए स्पष्ट रूप से असमान पाई जाती है।13. वर्तमान मामले में, डब्ल्यू. टी. एम. ने प्रतिबंध का आदेश लागू करते हुए, इस तरह के हेरफेर के प्रभाव के संबंध में इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपना दिमाग लगाया है।इस पहलू से निपटने के दौरान, डब्ल्यू. टी. एम. ने देखा है कि शेयरों की कीमत में हेरफेर प्रतिभूति बाजार में अन्य काउंटर पक्षों पर गंभीर रूप से प्रभाव डालता है। दूसरे शब्दों में, प्रतिभूति बाजार में एक प्रतिभागी द्वारा किए गए हेरफेर के प्रभाव का आकलन केवल प्रतिभागियों को हुए लाभ के संदर्भ में नहीं किया जा सकता है, बल्कि प्रतिभूति बाजार पर कार्रवाई के व्यापक परिणामों के संदर्भ में किया जा सकता है।

/

/

15. प्रतिभूति बाजार निवेशकों की संपत्ति से संबंधित है।इस तरह का कोई भी हेरफेर निवेशकों की संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।इस पृष्ठभूमि में, डब्ल्यू. टी. एम. द्वारा पारित आदेश को असमान नहीं माना जा सकता है ताकि इसके परिणामस्वरूप एस. ई. बी. आई.

अधिनियम की धारा 15 जेड के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इस न्यायालय का हस्तक्षेप हो।

/

इस प्रकार, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि एओ द्वारा लगाए गए दंड की मात्रा आनुपातिक है और 1992 के अधिनियम की धारा 15 जे के साथ पठित धारा 15 ए (ए) के प्रावधानों की सीमा के भीतर है, और इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

/

45. इसके अलावा, 1992 के अधिनियम की धारा 11 सी (3) को नंगे पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी व्यक्ति के मामलों की जांच के लिए एस. ई. बी. आई. द्वारा नियुक्त एक जांच प्राधिकरण को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है।

/

“प्रतिभूति बाजार से किसी भी तरह से संबद्ध ऐसी जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए, या ऐसी पुस्तकों, या रजिस्टरों, या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए, या उसके या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के सामने रिकॉर्ड करने के लिए, जो वह आवश्यक समझे, यदि ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना या ऐसी पुस्तकों, या रजिस्टरों, या अन्य दस्तावेजों, या रिकॉर्ड का उत्पादन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक या आवश्यक है -

/

इसकी जाँच "।वर्तमान मामले अंतर्गत , अपीलकर्ताओं की प्रतिभूति बाजार अंतर्गत हेरफेर करने अंतर्गत केतन पारेख और उनकी कंपनियों की सहायता करने और उन्हें उकसाने अंतर्गत कथित संलिप्तता के लिए एस. ई. बी. आई. द्वारा जांच की जा रही थी।उसी को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी 1992 के अधिनियम की धारा 11 सी (3) के अंतर्गत "किसी भी तरह से प्रतिभूति बाजार से जुड़े व्यक्तियों" के दायरे में आएंगे। जाँचक अधिकार

/

1992 के अधिनियम की धारा 11 सी (3) में ऐसे व्यक्तियों को उनके समक्ष उपस्थित होने और जांच के लिए आवश्यक जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश देने का अधिकार प्रदान किया गया है।

46. यह उल्लेख करना भी उचित है कि 1992 के अधिनियम की धारा 19 में यह प्रावधान है कि एस. ई. बी. आई. किसी भी सदस्य, एस. ई. बी. आई. के अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियों और कार्यों (धारा 29 के अंतर्गत शक्तियों को छोड़कर) को सौंप सकता है जो वह आवश्यक समझे।इस प्रकार, जब अपीलकर्ता 1992 के अधिनियम की धारा 11 सी (3) के अंतर्गत जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहे और आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहे, तो जांच प्राधिकरण, जो कि एस. ई. बी. आई. का एक प्रत्यायोजित प्राधिकरण था, को 1992 के अधिनियम की धारा 15 ए (ए) में दिए गए प्रावधान के अनुसार जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया। इसलिए, हम इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

/

/

47. दल अपन-अपन लागत वहन करत।

दिव्या पांडे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

/

(सहायकः राहुल कुमार, एलसीआरए)

/

/

/

/